Women University Press
Jayoti Publication Desk
ISBN No. : 978-93-94024-56-4

भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ

भाग–2

Administrative Institutions in India -II

जेवीएन प्रो.(डॉ.) संजय बुन्देला

JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR
UGC Approved Under 2(f) & 12(b) | NAAC Accredited | Recognized by Statutory Councils

Printed by :
JAYOTI PUBLICATION DESK

Published by :
Women University Press
Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

Faculty of Education & Methodology

Title: Administrative Institutions in India -II

Author Name: Dr. Sanjay Bundela

Published By: Jayoti Publication Desk Women University Press Jayoti Vidyapeeth Womens University Jaipur

Publisher's Address: Jayoti Publication Desk Women University Press Jayoti Vidyapeeth Womens University Jaipur

Vedaant Gyan Valley,
Village-Jharna, Mahala Jobner Link Road, NH-8
Jaipur Ajmer Express Way,
Jaipur-303122, Rajasthan (INDIA)

Printer's Detail: Jayoti Publication Desk Women University Press Jayoti Vidyapeeth Womens University Jaipur

Edition Detail: II
ISBN: 978-93-94024-56-4

Copyright ©- Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ

(Administrative Institutions in India)

भाग –2

(Part-2)

डॉ संजय बुन्देला

प्रोफेसर

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एण्ड मैथोडोलॉजी

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ,जयपुर (राजस्थान)

ज्योति प्रेस

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ,जयपुर (राजस्थान)

अनुक्रमणिका (Index)

अध्याय (Chapter)

1. **लोक कल्याणकारी राज्य(अर्थ, विशेषताएं तथा कार्य)**

   Welfare State (meaning, features and functions)

2. लोकतांत्रिक/प्रजातांत्रिक प्रशासन की विशेषताएं

   (Characteristics of Democratic administration)

3. नौकरशाही/ब्यूरोक्रेसी (भूमिका , लाभ तथा हानि)

   Bureaucracy (Role, Merit and Demerits)

4. नीति आयोग(संगठन तथा कार्य)

   NITI Aayog (Organization and Functions)

5. राष्ट्रीय विकास परिषद (संगठन तथा कार्य)

   National Development Council (Organisation and Functions)

6. **संघ लोक सेवा आयोग (संगठन , कार्य तथा भूमिका)**

   Union Public Service Commission (Organisation, Functions and Role)

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संगठन तथा कार्य)

   University Grants Commission (Organization and Functions)

1. लोक कल्याणकारी राज्य(अर्थ, विशेषताएं तथा कार्य)
Welfare State (meaning, features and functions)

प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान समय में एशिया या अफ्रीका के विकासशील इत्यादि सभी देशों में आज लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने अपना विशेष स्थान रखा हुआ है अर्थात एक अभिन्न अंग बना हुआ है । लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा राज्य में अधिक से अधिक कार्य संपन्न किए जाते हैं । राज्य की उपयोगिता के बारे में अरस्तु के सुविचार आज उतने ही प्रासंगिक है जितने की अरस्तु के समय में रहा है ।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास (Development of the concept of welfare state)

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का निरंतर धीरे – धीरे विकास हुआ है । लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है एक ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी एक विशेष वर्ग के कल्याण के लिए नहीं बल्कि साधारण व्यक्तियों के कल्याण के लिए होता है । राज्य का यह भी एक कर्तव्य है कि वह अपने सभी निवासियों के विकास के लिए समुचित परिस्थितियां उपलब्ध कराएं ।

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास के लिए निम्नलिखित बिंदु देखे जा सकते हैं–

1. महाभारत, पुराण तथा वेद की स्मृतियों के साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र , सभी में राज्य द्वारा उनके नागरिकों के कल्याण की भावना को स्पष्ट देखा जा सकता है ।

2. वेद व्यास के अनुसार महाभारत में कहा गया है कि जो सम्राट अपनी प्रजा को पुत्र की तरह समझ कर उनके बहुमुखी विकास का प्रयत्न नहीं करता ,वह नरक का भागीदार होता है ।

3. राजनीति विज्ञान के आरंभिक प्रसिद्ध विचारक प्लेटो तथा अरस्तु ने भी राज्य को एक नैतिक संरचना माना है , जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों के हित में कार्य करना है ।

4. भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान में , 1950 के IV अध्याय में राज्य के नीति निदेशक तत्व में स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा ।

5. उपरोक्त बिंदुओं के अलावा औद्योगिक क्रांति, युद्ध, आर्थिक संकट तथा अन्य क्रांतियों ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए धीरे–धीरे कदम उठाया ।

लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ तथा परिभाषा (Meaning and definition of welfare state)

अर्थ

लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है –लोक स तात्पर्य है– लोगों का कल्याण करना और उनके सुख समृद्धि को आगे बढ़ाना स यह राज्य समाज के सभी नागरिकों की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है ।

परिभाषा

एन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार –

लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से हैं जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है ।

टी डब्लू केंट (TW Kant)के अनुसार–

लोक कल्याणकारी राज्य , वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है । इसके अंतर्गत यह शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगार , वृद्धावस्था आदि की व्यवस्था करता है ।

अब्राहम ने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता रहता है ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार–

सबको समान अवसर प्रदान करना , अमीरों तथा गरीबों के मध्य अंतर मिटाना और सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व है ।

लोककल्याणकारी राज्य की विशेषताऐं (लक्षण)

लोककल्याणकारी के आदर्श स्वरूप के लिए निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं हैः–

1. आर्थिक सुरक्षा संबंधी

इसके बिना लोककल्याणकारी राज्य का कोई महत्व नहीं है , क्योंकि सबके लिए रोजगार, न्यूनतम जीवन की गारण्टी, अधिकतम आर्थिक समानता होनी चाहिए । यदि शासन तन्त्र में राज सत्ता आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों के हाथों में होगी, तो वह लोककल्याणकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आयेगा ।

2. राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था संबंधी

लोककल्याणकारी राज्य को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि राजनैतिक शक्ति सम्पूर्ण रूप से जनता के हाथ में हो । शासन व्यवस्था लोकहित में हो । नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक दलों के निर्माण की स्वतंत्रता के साथ ही मत देने तथा चुनाव लड़ने की पूर्णत : राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

3. सामाजिक सुरक्षा संबंधी

लोककल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्षण यह होना चाहिए कि वह सामाजिक सुरक्षा से साथ–साथ समाज में रंग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव न करे । एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है । इस सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक समानता की स्थापना की जाती है ।

4. राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि संबंधी

राज्य को लोककल्याण सम्बन्धी वे सभी कार्य करने चाहिए, जिससे नागरिकों की स्वतन्त्रता प्रभावित न हो और वे अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण क्षमता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके ।

5. विश्वशान्ति एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना संबंधी

लोककल्याणकारी राज्य का स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होता है । अतः राज्य विशेष को चाहिए कि वह विश्वकल्याण की भावना से सम्पूर्ण मानवता के लिए कार्य करे ।

6. लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य हैं

लोक कल्याणकारी राज्य एक आवश्यक बुरायी नहीं हैं। यह सकारात्मक अच्छाई लाने में समर्थ हैं स लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग लोगों को अपने हितों को बढ़ाने के लिए , हालातों को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए होता है l

7. लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक हैं

लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है । लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक पूंजीवादी समाज की बुराइयां जैसे गरीबी , असुरक्षा , बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण अधिक समझते हैं l

8. लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रजातान्त्रिक राज्य हैं

लोक कल्याणकारी राज्य प्रजातांत्रिक राज्य होता है । यह राज्य जनता की इच्छा को अधिक महत्व देते हुए उनके कार्यों को संपन्न करता है । सामाजिक संकटों तथा पारिवारिक कष्टों को दूर करने के लिए सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना तथा समाज के कमजोर तथा निर्धन लोगों की आगे बढ़कर मदद करना , यह सभी प्रजातांत्रिक राज्य ही करता है । अहस्तक्षेपवादी राज्य का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है ।

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य (Functions of Welfare state)–

लोककल्याणकारी राज्य के कार्यो को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1 अनिवार्य कार्य ।

2 ऐच्छिक कार्य ।

अनिवार्य कार्य तो प्रत्येक राज्य को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं । ऐच्छिक कार्य राज्य की परिस्थितियों एवं शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं ।

लोककल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह ऐच्छिक व अनिवार्य दोनों को महत्त्व दे ।

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य (Functions of Welfare state)–

1. **बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना –**

इस हेतु विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों एवं साधनों की व्यवस्था करना ।

2. **शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम करना –**

राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य राज्य में शान्ति एवं सुव्यवस्था कायम करना, नागरिकों को कानून के तहत सुशासन प्रदान करना, पुलिस की व्यवस्था करना और नागरिकों के कर्तव्यों का नियमन करना है ।

3. **न्याय की व्यवस्था –**

लोककल्याणकारी राज्य को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए ।

4. **आर्थिक समानता –**

लोककल्याणकारी राज्य को स्त्री–पुरुष, बच्चों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो । आर्थिक समानता के आधार पर नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ।

5. **वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना –**

लोककल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सद्भावना स्थापित कर विश्वशान्ति व वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को बढ़ाना है ।

6. **शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना –**

सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, इसके साथ ही 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है । विश्वविद्यालय, तकनीकी, औद्योगिक, महिला, प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना भी हैं ।

7 स्वास्थ्य रक्षा –

नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु समुचित उपाय करना ।

अन्य कार्य –

8. उद्योग एवं व्यापार पर नियन्त्रण करना ।

9. कृषि की उन्नति हेतु राज्य को उत्तम बीज, खाद एवं सिंचाई के समुचित साधनों की व्यवस्था करना, कृषकों को कम ब्याज पर देना ।

10. यातायात एवं संचार के लिए सड़कों, रेलों, जल तथा वायुमार्गो, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि की व्यवस्था करना ।

11. श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रमहितकारी कानून बनाना ।

12. शारीरिक रूप से अपंग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए इस प्रकार शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना कि वह अपनी जीविकोपार्जन स्वयं कर सकें । इसके लिए वृद्धों और अपंगों के लिए पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करना ।

13. प्रत्येक राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान को प्रोत्साहन देना ।

14. नागरिकों के लिए आमोद–प्रमोद व मनोरंजन की व्यवस्था करना ।

15. प्राकृतिक सम्पदा के अधिकाधिक उपयोग हेतु राज्य को प्रेरित करना ।

16. सामाजिक कुरीतियों में सती प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, पर्दाप्रथा तथा धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कानून बनाकर उसे समाप्त करना ।

17. सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करना ।

18. बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यक व मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ।

19. आर्थिक नियोजन, निर्धनता का अन्त, उद्योग व्यापार एवं कृषि का नियमन एवं विकास करना ।

लोककल्याणकारी राज्य और भारत –

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है । प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक इसी लोककल्याण की भावना का निरन्तर विकास होता रहा है ।

महात्मा गांधी, नेहरू, आर.लोहिया, विनोबा भावे आदि ने भारत को लोककल्याणकारी राज्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किये । स्व॰ इंदिरा गांधी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर, स्व॰ राजीव गांधी ने भी लोककल्याणकारी राज्य के स्वप्न को गति दी ।

संदर्भ सूची –

(I) Gettel "Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power."

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स

2.लोकतांत्रिक/प्रजातांत्रिक प्रशासन की विशेषताएं

(Characteristics/Features of Democratic administration)

प्रस्तावना (Introduction)

वर्तमान समय में शासन का स्वरूप अधिनायक तंत्र तथा कुलीन तंत्र न होकर जनतांत्रिक बना हुआ है । विश्व के अधिकांश देशों में आज शासन सत्ता का संचालन लोकतंत्र , शासन पद्धति से हो रहा है । यह एक ऐसी लोकतंत्र की पद्धति है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और एक निश्चित अवधि तक वह प्रतिनिधि शासन के कार्यों को संपन्न करते हैं । लोकतंत्र पद्धति से तात्पर्य है उस निर्वाचित सरकार से , जो देश के संविधान की सीमाओं में रहते हुए संविधान के प्रावधानों के अनुरूप देश का शासन संचालित करते हैं । सरकार पर संविधानिक नियंत्रण और सर्वोपरि रूप से कानून के शासन को महत्व दिया जाता है ।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लक्षण / विशेषताएं (Features of Democratic Administration)

जनतंत्र देशों में पाए जाने वाले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लक्षणों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

1. संविधान की सर्वोच्चता तथा सम्मान (Supremacy and respect of the constitution)

लोकतांत्रिक देशों में शासन– प्रशासन लिखित संविधान के आधार पर चलाया जाता है । जहां प्रशासन का आचरण संविधान की सीमाओं के अनुसार ही चलता है । किसी भी लोकतांत्रिक प्रशासन का यह एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है । यहां का शासन संविधान से परे कोई काम नहीं कर सकता ।

2 व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities towards legislature)

किसी भी लोकतांत्रिक देश प्रजातंत्र देश के संविधान और संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुरूप चलाया जाता है । प्रशासन का निर्देशन करने वाली कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व निभाती है । कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य अपने मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है । संसद में पूछे गए प्रश्नों का अपने मंत्री के माध्यम से ही प्रशासन के द्वारा जवाब मिलता है ।

3. न्यायपालिका के प्रति सम्मान की भावना (Respect towards Judiciary)

लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका को देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है । यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी होता है । प्रशासन तंत्र के द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है जो नागरिकों के अधिकारों और सम्मान को ठेस पहुंचाए , तो इसके विरोध में न्यायपालिका की शरण में जाकर नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है ।

4. राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष परामर्श देना (Impartial advice to political Executive)

सभी जनतंत्र देशों में प्रजातंत्र का यह प्रमुख दायित्व है कि वह देश की राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष रूप से परामर्श उपलब्ध करें । लोकतंत्र देशों की निर्वाचित राजनीति कार्यपालिका कभी–कभी दक्ष नहीं होती है अतः वह अधिनियम और कानूनों की बारीकियों को समझ नहीं पाती है । इसलिए क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कुशल होते हैं अतः वह समय–समय पर इन्हें परामर्श उपलब्ध कराते रहते हैं ।

5. शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन (Decentralization and Delegation of Power)

लोकतंत्र के देशों में केंद्रीकरण का विरोध किया जाता है । यहां विकेंद्रीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है । सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में जनता के हितों में शक्ति

का अधिक स्तरों पर विकेंद्रीकरण किया जाता है । प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रशासनिक शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन किया जाता है । शक्तियों के विकेंद्रीकरण कि इस व्यवस्था से प्रशासन में तानाशाही की प्रवृत्ति दूर होती है ।

6. राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोच्चता (Supremacy of political leadership)

सभी लोकतंत्र के देशों का प्रशासन उस देश के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया जाता है । यहां प्रशासन के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे राजनेताओं को निष्पक्ष परामर्श प्रदान करें स वहीं दूसरी ओर राजनेताओं का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रशासन तथा राजनीति के सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण प्रशासन का निर्देशन करें । इनकी क्षमता और आत्मविश्वास तथा मनोबल को निरंतर बनाए रखें ।

7. प्रशासन की राजनीति से तटस्थता बनी रहती है (Neutrality from politics)

सभी लोकतंत्र देशों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी राजनीति से तटस्थ रखकर कार्य करते हैं । अधिकारियों के आचरण के नियमों में समस्त श्रेणी के प्रशासक तथा कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेंगे । किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे और ना ही उन्हें आर्थिक योगदान प्रदान करेंगे । यदि इस सिद्धांत के विपरीत जाकर कोई काम करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ।

8. राज्य के नागरिकों के अभाव अभियोग के निराकरण के तंत्र की व्यवस्था (Machinery for Redressal of Citizens Grievances)

लोकतंत्र के शासन में प्रशासकीय प्राधिकरण लोकपाल तथा लोकायुक्त सतर्कता आयोग एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इत्यादि ऐसे प्रशासनिक उपकरण है, जहां नागरिक प्रशासन एवं राजनीति के निर्णय के विरुद्ध अपने परिवाद को प्रस्तुत करते हैं । इनके द्वारा नागरिकों की शिकायतों को दूर किया जाता है ।

9. प्रशासन का केंद्र बिंदु सामान्य व्यक्ति का कल्याण होता है (Focus of Administration is Welfare of common man)

लोकतंत्र लोक के कल्याण को अधिक महत्व देता है । लोकतांत्रिक शासन जो भी नीतियां देश के विकास के लिए तैयार करता है उसका केंद्र बिंदु अमीर वर्ग ना होकर सामान्य व्यक्ति का कल्याण होता है । देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक,आर्थिक न्याय तथा समान अवसर उपलब्ध हो इसका यह हर संभव प्रयास करता है । प्रशासन का यह भी कर्तव्य है कि जो नीतियां और कार्यक्रम देश के विकास के लिए बनाएं उसमें आम व्यक्ति का कल्याण हो ।

9. पारदर्शी प्रशासन (Transparent Administration)

जनतंत्र प्रशासन का यह एक लक्षण है कि उसका संपूर्ण प्रशासनिक कामकाज जनता के लिए पारदर्शी हो अर्थात वह किसी बंद कमरे में ना होकर उसके समक्ष संपूर्ण जानकारी रखी जाए स जनता प्रशासन के निर्णय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है । ऐसी व्यवस्था इस प्रकार के राज्य में होती है । सरकार का प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होता है । जिससे जनता जानकारी लेती है । इसकी जानकारी दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है । संसद और विधान मंडल की गतिविधियां भी समाचार पत्रों में जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

11. प्रशासन में जनता की अधिकतम सहभागिता बनी रहती है (Maximum participation of Public in Administration)

प्रशासनिक कार्यों में यदि जनता सहभागी नहीं बनती तो श्रेष्ठ नीतियां भी असफल हो जाती है । लोकतंत्र देश में पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्मित समितियों के माध्यम से जनता की प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने की कोशिश की जाती है । जब तक नीतियों के क्रियान्वयन में जन सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक नीतियां प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकती ।

12. कार्मिक संगठनों को मान्यता प्रदान की जाती है (Recognition to employee organizations)

सभी देशों में प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संघ बनाने की अनुमति होती है । समान प्रकृति की समस्याओं के समाधान और निराकरण हेतु अपने सभी सदस्यों के हितों के विकास के लिए वे अपने संगठन बना सकते हैं । लोकतांत्रिक शासन ऐसे कार्मिक संगठनों को मान्यता प्रदान करता है ।

13. लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty)

लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है। लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सरकार अपनी हर चूक और कमीशन के लिए आम जनता के प्रति उत्तरदायी है।

14. राजनीतिक समानता (Political Equality)

लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक जाति, पंथ, धर्म, जाति या लिंग के बावजूद कानून के समक्ष समान माने जाते हैं और समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। राजनीतिक समानता प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार देती है।

15. संघीय व्यवस्था (Federal System)

यह भारतीय लोकतंत्र की एक और विशेषता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। हमारे संविधान के अनुसार, राज्य स्वायत्त हैं। उन्हें कुछ मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता है, और कुछ अन्य मामलों में वे केंद्र पर निर्भर हैं।

16. अल्पसंख्यक की राय का सम्मान (Respect for minority opinion)

लोकतांत्रिक रूप से स्थापित बहुमत के नियमों में लेकिन अल्पसंख्यकों की राय को भी सम्मान दिया जाता है। उन्हें अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मुक्त चर्चा

और आलोचना से लोकतंत्र की सरकार किसी भी प्रस्ताव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को प्रोत्साहित करती है। बहुमत को अल्पसंख्यक की राय को बर्दाश्त करना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र सत्तावाद में बदल जाएगा।

17. अधिकारों की व्यवस्था (System of rights)

लोकतंत्र व्यक्ति को विभिन्न अधिकार देकर व्यक्तिगत गरिमा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ या संघ बनाने का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार।

18. कानूनों का नियम (Rules of laws)

लोकतंत्र में कानून का शासन है। इसका अर्थ है सभी पर कानून की सर्वोच्चता। किसी भी परिस्थिति में कानून से समझौता नहीं किया जा सकता है।

19. सहमति से नियम (Agreed Rules)

लोकतंत्र सामान्य रूप से सहमति पर आधारित होता है लेकिन बल या जबरदस्ती पर नहीं। बातचीत, बहस और चर्चा के माध्यम से बहुमत से सहमति एकत्र करके समस्याओं को हल किया जा सकता है।

20. खुला समाज (Open Society)

लोकतंत्र का तात्पर्य स्वतंत्र और खुले समाज से है। सरकार की हर गतिविधि जनता की राय पर आधारित होती है। विभिन्न संघों, यूनियनों, संगठनों का गठन समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने और समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है।

21. स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent judiciary)

लोकतंत्र को स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता है। न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं करती है। कोई भी सरकारी अंग न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकता है।

22. यह कल्याणकारी सरकार है (**It is a welfare government**)

अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी सरकार है। लोकतंत्र एक शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से सर्वांगीण कल्याण संभव है। कल्याणकारी सरकार के रूप में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गरिमा आदि को बनाए रखता है।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

3. नौकरशाही / ब्यूरोक्रेसी (भूमिका , लाभ तथा हानि)

Bureaucracy (Role, Merit and Demerits)

प्रस्तावना (Introduction)

अफसरशाही, कार्मिकों का वह समूह है जिस पर प्रशासन का केंद्र आधारित है। प्रत्येक राष्ट्र का शासन व प्रशासन इन्हीं नौकरशाहों के इर्द–गिर्द घूमता है। 'नौकरशाही' शब्द जहाँ एक ओर अपने नकारात्मक अर्थों में लालफीताशाही भ्रष्टाचार तथा अहंकार के लिए कुख्यात है तो दूसरी ओर प्रगति, कल्याण, सामाजिक परिवर्तन एवं कानून व्यवस्था व सुरक्षा के संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है।

नौकरशाही का अर्थ (Meaning of Bureaucracy)

'नौकरशाही' शब्द अंग्रेजी के 'ब्यूरोक्रेसी' (Bureaucracy) का हिन्दी अनुवाद है । 'ब्यूरोक्रेसी' की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द 'ब्यूरो' (Bureau) से हुई है जिसका अर्थ है 'मेज' अथवा 'डेस्क' । फ्रांस में डेस्क पर ढँके कपड़े को 'कुरल' कहा जाता था । इससे निर्मित ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का प्रतीक है ।

शनैः– शनैः जहाँ कहीं भी सरकार का संकुचित दृष्टिकोण एवं स्वेच्छाचारिता नजर आती थी वहाँ 'नौकरशाही' शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा ।

नौकरशाही के प्रकार (Types of Bureaucracy)

एफ. एम. मार्क्स ने नौकरशाही के निम्नलिखित चार प्रकार बताए हैं :–

(A) अभिभावक नौकरशाही (Guardian Bureaucracy):

यह नौकरशाही जनहित की भावना से प्रेरित होती है ।

मार्क्स ने इस नौकरशाही के दो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं:

(i) चीनी नौकरशाही (शुंगकाल से 960 तक),

ii) प्रशा की नौकरशाही (सन् 1640 से 1950 तक) ।

यह नौकरशाही परम्परावादी एवं रूढ़िवादी प्रकृति की मानी जाती है । इस प्रकार की नौकरशाही न्यायपूर्ण एवं लोक हितकारी होने के साथ–साथ अनुत्तरदायी भी होती है ।

(B) जातीय नौकरशाही (Caste Bureaucracy)

राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में होने पर जातीय नौकरशाही अस्तित्व में आती है । इस प्रकार की नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है ।

नौकरशाही में केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जो उच्चतर वर्गों से सम्बन्धित होते हैं । प्राचीन रोमन साम्राज्य एवं जापान का मैजी संविधान इसी प्रकार के उदाहरण हैं ।

(C) संरक्षक नौकरशाही (Patronage Bureaucracy):

इसमें लोक सेवकों की नियुक्ति राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर की जाती है । विजयी राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करते हैं । राजनेताओं द्वारा प्रशासनिक मशीनरी पर नियन्त्रण करने के लिये ऐसा किया जाता है ।

इसका दूसरा नाम 'लूट पद्धति' है । अमेरिका में इसी प्रकार की नौकर शाही पाई जाती है । इसमें लोक सेवकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है वरन् उनसे सत्ताधारी दल की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता की माँग की जाती है उनका मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है ।

(D) योग्यता पर आधारित नौकरशाही (Merit based Bureaucracy):

इसमें लोक सेवकों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है योग्यता की जाँच हेतु परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं । आधुनिक लोकतन्त्रों में इसी प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है । इसमें राजनीतिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के स्थान पर देश के संविधान एवं कर्त्तव्य के प्रति सजगता देखने को मिलती है ।

नौकरशाही की भूमिका (Role of bureaucracy)

नौकरशाही की भूमिका निम्न बिन्दुओ के द्वारा देखि जा सकती है–

1. सरकारी नीतियों और कानूनों का कार्यान्वयन करना (Implementing government policies and laws)

यह नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाए और कार्यान्वित करे। अच्छी नीतियां और कानून वास्तव में अपने उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब ये कुशलतापूर्वक नौकरशाही द्वारा कार्यान्वित की जाए।

2. नीति–निर्माण में भूमिका निभाती हैं (Play a role in policy making)

नीति–निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है। सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा पॉलिसी तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा की आपूर्ति करते हैं।

3. प्रशासन चलाना (Run administration)

सरकार की नीतियों, कानूनों, नियमों, विनियमों और निर्णयों के अनुसार दिन–प्रतिदिन प्रशासन चलाना भी नौकरशाही की प्रमुख जिम्मेदारी है। राजनीतिक कार्यपालिका बस मार्गदर्शक, नियंत्रण और पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को करती हैं।

4. राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना (Advising the political executive)

नौकरशाही का एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देना है। मंत्री सिविल सेवकों से अपने संबंधित विभागों के कामकाज के बारे में सभी जानकारी और सलाह प्राप्त करते हैं। मंत्रियों को अपने विभागों के कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इसलिए, वे नौकरशाही की सलाह पर निर्भर हैं। वे मंत्रियों को विशेषज्ञ और पेशेवर सलाह और जानकारी प्रदान करते हैं।

5. विधायी कार्य में भूमिका निभाना (Role playing in legislative work)

सिविल सेवक कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। वे उन बिलों का मसौदा तैयार करते हैं जो मंत्री कानून बनाने के लिए विधायिका को सौंपते हैं। मंत्री सिविल सेवकों की सहायता लेकर विधायिका द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करते हैं।

6. अर्ध–न्यायिक सम्बन्धी कार्य (Quasi–judicial work)

प्रशासनिक न्याय की प्रणाली को कार्यपालिका द्वारा तय किया जाता है। आगे चलकर नौकरशाही के अर्ध–न्यायिक कार्यों में वृद्धि का स्रोत रहा है। परमिट, लाइसेंस, कर रियायतें, कोटा इत्यादि के विवादों को अब सिविल सेवकों द्वारा निपटाया जाता है।

7. करों का संग्रह और वित्तीय लाभ में भूमिका निभाना (Play a role in the collection of taÛes and financial gain)

सिविल सेवक वित्तीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सभी वित्तीय नियोजन, कर–संरचना, कर–प्रशासन और इस तरह के संबंध में राजनीतिक कार्यकारी को सलाह देते हैं। वे करों को एकत्र करते हैं और करों की वसूली से जुड़े विवादों का निपटारा करते हैं। वे बजट और कराधान प्रस्तावों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8. सभी सरकारी रिकॉर्ड रखना (Keeping all government records)

नौकरशाही के पास सभी सरकारी रिकॉर्डों को व्यवस्थित रूप से रखने की एकमात्र जिम्मेदारी है। वे सरकार की सभी गतिविधियों से संबंधित सभी डेटा एकत्र, वर्गीकृत और विश्लेषण करते हैं। वे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र करते हैं ।

9. सार्वजनिक संबंध में भूमिका निभाना (Play a role in public relations)

आधुनिक कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक राजनीति के युग ने सरकार को राज्य के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए आवश्यक बना दिया है। सक्रिय और पूर्ण जनसंपर्क बनाए रखने की आवश्यकता हर राज्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

10.एजेंट के रूप में (As a agent)

नौकरशाही मुख्य एजेंट हैं जो लोगों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। वे दो तरह की कड़ी के रूप में काम करते हैं। एक ओर, वे लोगों के लिए सभी सरकारी निर्णयों को संप्रेषित करते हैं, और दूसरी ओर, वे लोगों की आवश्यकताओं, हितों और विचारों के लिए सरकार से बातचीत करते हैं।

नौकरशाही के गुण (Merits of Bureaucracy)

1. विशेषज्ञता (Specialization)

एक नौकरशाही संगठन विशेषज्ञता के फायदे प्रदान करता है क्योंकि प्रत्येक सदस्य को प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष कार्य सौंपा जाता है।

2. तर्कसंगतता (Reasonableness)

नियमित परिस्थितियों में दूरगामी निर्णय लेने वाले मानदंडों को पहले से निर्धारित करके निष्पक्षता का एक उपाय सुनिश्चित किया जाता है।

3. लोकतंत्र (Democracy)

योग्यता और तकनीकी क्षमता पर जोर संगठन को अधिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। अधिकारियों को संरक्षण या अन्य विशेषाधिकार प्राप्त उपचार के बजाय निर्धारित नियमों, नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है।

नौकरशाही के अवगुण /दोष (Demerits of Bureaucracy)

1. कार्यो में कठोरता (Hard work)

नौकरशाही में नियम और कानून अक्सर कठोर और अनम्य होते हैं। नियमों और विनियमों के साथ कठोर अनुपालन पहल और रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है।

2. अवैयक्तिकता (Impersonality)

एक नौकरशाही संगठन चीजों को करने के एक यांत्रिक तरीके पर जोर देता है। संगठनात्मक नियमों और विनियमों को किसी व्यक्ति की जरूरतों और भावनाओं पर प्राथमिकता दी जाती है।

3. गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (Computerization of activities)

नौकरियों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोगों को उन कार्यों को करने से रोकते हैं जो वे प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यह निरर्थक होने पर भी नौकरियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

4. कागजी कार्रवाई (Paperwork)

नौकरशाही में अत्यधिक कागजी कार्रवाई शामिल है क्योंकि प्रत्येक निर्णय को लिखित रूप में रखा जाना चाहिए। सभी दस्तावेजों को अपने मसौदे और मूल रूपों में बनाए रखना होगा। इससे समय, स्टेशनरी और स्थान का अपव्यय होता है।

5. नौकरशाही के लोग हितों को महत्व देते हैं (Bureaucratic people value interests)

नौकरशाही के लोग अपने हितों और संसाधनों का उपयोग स्वयं के हितों को बनाए रखने के लिए करते हैं। प्रत्येक श्रेष्ठ अपने अधीनस्थों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है जैसे कि यह संख्या शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है।

6. लालफीताशाही की प्रवर्ति पायी जाती हैं (Redtapism is found)

नौकरशाही प्रक्रियाओं में कार्यों के प्रदर्शन में देरी होती है।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

4.नीति आयोग(संगठन तथा कार्य)

National Institution for Transforming India (NITI Aayog)

(Organization and Functions)

प्रस्तावना (Introduction)

योजना आयोग की विरासत कई सालो की हैं । उसकी जगह छप्ज्प् |लवह ने ले ली है। योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की उपयोगिता और महत्व पर लंबे समय तक सवाल उठाए गए थे। देश में वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं और परिदृश्य के लिए अधिक प्रासंगिक और उत्तरदायी प्रतीत होता है। NITI Aayog UPSC और राज्य सिविल लोक सेवा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है जो देश की विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकास (Development)

NITI Aayog का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। संस्कृत में, "NITI" शब्द का अर्थ नैतिकता, व्यवहार, मार्गदर्शन आदि है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में, इसका मतलब है कि नीति और NITI का अर्थ "ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय संस्थान" है। यह देश का प्रमुख नीति–निर्माण संस्थान है, जिससे देश के आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना है जो एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। यह भारत को दुनिया में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में मदद करता है। NITI Aayog के निर्माण में "टीम इंडिया हब" और "ज्ञान और नवाचार हब" नामक दो हब हैं।

A- टीम इंडिया (Team India)

यह केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी की ओर जाता है।

B- ज्ञान और नवाचार हब (Knowledge and Innovation Hub)

यह संस्था के थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है।

NITI Aayog अतिरिक्त संसाधन, ज्ञान और कौशल के साथ कला संसाधन केंद्र के एक राज्य के रूप में खुद को बना रहा है स जो इसे गति, अग्रिम अनुसंधान और नवाचार के साथ कार्य करने, सरकार के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत दृष्टिकोण और अप्रत्याशित मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाएगा।

NITI Aayog की स्थापना का कारण यह है कि लोगों को उनकी भागीदारी के माध्यम से प्रशासन में वृद्धि और विकास की उम्मीदें थीं। प्रशासन और सक्रिय रणनीति बदलावों में यह आवश्यक संस्थागत परिवर्तन थे जो बीज और बड़े पैमाने पर बदलाव को बढ़ावा दे सकते थे।

संगठन / संरचना (Organisation / Structure)

अध्यक्ष (Chairperson)

⇩

उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson

⇩

सदस्य (Members

A. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (Chief Ministers of all the States and Lt. Governors of Union Territories)

B. पूर्णकालिक और अंशकालिक (Full-time and Part time)

C. विशेष आमंत्रित (Special invitees)

⇩

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)

⇩

अन्य अधिकारी और कर्मचारी (Other officers and staff)

1. भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं।

2. गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं।

3. एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले विशेष मुद्दों और संभावनाओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाएंगी। ये निश्चित अवधि के लिए बनाए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री द्वारा तलब किया जाएगा। इसमें राज्यों के मुख्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता NITI Aayog के चेयरपर्सन या उनके नॉमिनी करेंगे।

4. विशेष आमंत्रित व्यक्तिः प्रासंगिक विशेषज्ञ, प्रासंगिक डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

5. पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री शामिल है ।

1. उपाध्यक्ष (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)

2. सदस्य–

I. पूर्णकालिक सदस्य

ठ. अंशकालिक सदस्यः अग्रणी विश्वविद्यालयों से अधिकतम 2 सदस्य, प्रमुख अनुसंधान संगठन, और एक पदेन क्षमता में अन्य नवीन संगठन। अंशकालिक सदस्य एक घूर्णी आधार पर होंगे।

पदेन सदस्यः मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाना है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः सीईओ को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह भारत सरकार के सचिव के पद पर होंगे।

उद्देश्य एवं कार्य (Aims and Functions)

1. **राष्ट्रीय उद्देश्य (National Objective)**

राष्ट्रीय उद्देश्यों के तहत राज्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और एक ढांचा प्रदान करना ।

2. **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)**

राज्यों के साथ निर्बाध आधार पर सुव्यवस्थित समर्थन के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

3. **ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति (A reliable strategy at the village level)**

ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करना तथा सरकार के उच्च स्तर पर धीरे–धीरे इनको एकत्रित करने के तरीकों का निर्माण करना।

4. **राष्ट्रीय सुरक्षा हित (National security interest)**

एक आर्थिक नीति के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को महत्व प्रदान करना ।

5. **समाज के विशेष वर्गों पर ध्यान (Attention to special class of society)**

समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से संतोषजनक रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ।

6. **कार्यक्रम के ढांचे का प्रस्ताव तैयार करना (Preparation of program structure proposal)**

लघु एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम के ढांचे का प्रस्ताव तैयार करना ।

7. **कार्यक्रम की प्रगति और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करना (Reviewing the progress and effectiveness of the program)**

लघु एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की प्रगति और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

8. **संस्थानों के बीच सलाह और प्रोत्साहन देना (Giving advice and encouragement between institution)**

महत्वपूर्ण हितधारकों और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ–साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह और प्रोत्साहन देना ।

9. **ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमशीलता सहायता प्रणाली (Knowledge Innovation and Entrepreneurship Support System)**

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमशीलता सहायता प्रणाली उत्पन्न करना।

10. **अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना (Providing a platform for resolution of inter&regional and inter&departmental issues)**

प्रगतिशील एजेंडे की सिद्धि को गति देने के लिए अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

11. **अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को संरक्षित करना (Preserving the modern resource center)**

एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को संरक्षित करने के लिए, सुशासन और टिकाऊ तथा न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम भूमिका निभाना ।

12. **कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करना (Effectively evaluate the implementation of programs)**

सफलता की संभावना को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करना।

13. **प्रौद्योगिकी सुधार तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान देना (Effectively evaluate the implementation of program)**

कार्यक्रमों और पहलों हेतु प्रौद्योगिकी सुधार तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान देना।

14. **राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा उद्देश्यों (National Development Agenda and Objectives)**

राष्ट्रीय विकास एजेंडा, और उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक गतिविधियों का संचालन करना ।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

(VI) https://www.youtube.com/watch?v=ysuKiwbw4_g

5. राष्ट्रीय विकास परिषद (संगठन तथा कार्य)

National Development Council (Organisation and Functions)

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में संघीय शासन अवस्था को अपनाया गया है । इस व्यवस्था के तहत आर्थिक नियोजन इस तरीके से करना होता है कि सारे देश के लिए जो योजना बने उसमें केंद्र तथा राज्यों की पूरी पूरी सहमति हो । नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और वह अपने कार्यों के लिए भारत सरकार के प्रति ही उत्तरदाई है । राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें इसमें अपना सक्रिय भाग ले । इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री समय–समय पर इस प्रकार की परिषद के लिए विचार विमर्श कर रहे थे । 1946 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री नियोजन मंडल का नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) कर दिया गया।

नीति आयोग की तरह एनडीसी भी एक सलाहकारी संस्था है।

राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन (Organization of National Development Council)

अध्यक्ष (Chairperson) –प्रधानमंत्री (Prime Minister)

सदस्य (Members)

A- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (Chief Ministers of all the States and Lt- Governors of Union Territories)

B- नीति आयोग के सदस्य (Members of NITI Aayog)

C- केंद्रीय मंत्रीपरिषद के सदस्य (Members of Union Council of Ministers)

राष्ट्रीय विकास परिषद में अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं तथा सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं । नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की समितियां (Committees of National Development Council)

राष्ट्रीय विकास परिषद में 6 स्थाई समितियां है स इन समितियों के नाम निम्नलिखित है–

1. जनसंख्या ।
2. अनुसूचित जाति अत्याचार ।
3. रोजगार ।
4. चिकित्सा ।
5. शिक्षा ।
6. साक्षरता तथा योजना विकेंद्रीकरण ।

क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है , इसलिए विशेष समस्याओं पर वह विस्तार पूर्वक विचार नहीं कर पाती । अतः यह स्थाई समितियां एनडीसी के काम में मदद करती हैं ।

राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य तथा भूमिका (Functions and Role of National Development Council)

1. राष्ट्रीय योजना हेतु मार्ग–निर्देश तय करना ।

2. नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना ।

3. योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आंकलन करना ।

4. राष्ट्रीय संसाधनों को बढ़ाने के उपाय सुझाना ।

5. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक तथा आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना ।

5. राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना ।

6. राष्ट्रीय योजना से संबंधित कार्यों में आयी समस्याओ का पता लगाकर इस हेतु समाधान सुझाना ।

7. राष्ट्रीय विकास में निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु सुझाव देना ।

8. देश के विकास हेतु आर्थिक साधनो की व्यवस्था करना ।

9. प्रशासकीय सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

10. योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का आकलन करना और उनको बढ़ाने के उपाय सुझाना ।

11. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की समीक्षा (Critical evaluation of National Development Council)

राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग की तरह ही एक सलाहकार संस्था है । योजना निर्माण में राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । इसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं । इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को पूर्णता स्वीकृत कर ली जाती है । इसमें स्वयं प्रधानमंत्री , सभी राज्यों के मुख्यमंत्री , केंद्रीय मंत्री इत्यादि सभी होते हैं अतः इसकी लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया जाता है ।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

6. संघ लोक सेवा आयोग (संगठन , कार्य तथा भूमिका)

Union Public Service Commission (Organisation, Functions and Role)

प्रस्तावना (Introduction)

भारत का संघ लोक सेवा आयोग ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। 1924 में ली आयोग ने स्वतंत्र लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था। ऐसे सुझावों के आधार पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, एक स्थायी यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) होगा। यह निकाय भारत सरकार के तहत भारतीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 यूपीएससी के सदस्यों, कार्यों और यूपीएससी की शक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है।

नियुक्ति और कार्यकाल

1. आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके कम से कम आधे सदस्य सिविल सेवक (कामकाजी या सेवानिवृत्त) होते हैं, जिनका केंद्र या राज्य सेवा में दस साल से कम का अनुभव नहीं होता है।

2. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

3. इसके अलावा, उनकी सेवा अवधि समाप्त होने से पहले, कार्यकारी अध्यक्ष या आयोग के किसी भी सदस्य को उनकी सेवा से नहीं हटा सकते। उन्हें संविधान में निर्धारित साधनों के

माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा, एक बार इन सदस्यों को नियुक्त करने के बाद उनकी सेवाओं के नियम और शर्तों को नहीं बदला जा सकता है।

4. अनुच्छेद 322 में घोषणा की गई है कि चेयरमैन सहित इन सदस्यों के पारिश्रमिक और भत्तों को भारत के समेकित कोष पर लगाए गए व्यय के रूप में माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि उनके वेतन और भत्ते संसद की मंजूरी के अधीन नहीं हैं।

5. यूपीएससी के सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव, दो अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव करते हैं।

6. प्रत्येक सदस्य छह वर्ष या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जो भी पहले हो, पद धारण कर सकता है।

7. कोई सदस्य किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है।

संगठन (Organisation)

अध्यक्ष

सदस्य

सचिवालय

सचिव

अतिरिक्त सचिव

(1.प्रशासन 2. भर्ती तथा कार्मिक)

निदेशक

उप सचिव

अनुभाग अधिकारी

अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा बाकी सदस्य होते हैं । अध्यक्ष और सदस्य मिलकर आयोग की नीति निर्माण संबंधी काम करते हैं स आयोग में सचिवालय होता है । इस सचिवालय में सचिव होता है । यह सचिव आयोग की बनी हुई नीतियों को लागू करवाने का कार्य करता है । सचिव की सहायता के लिए अतिरिक्त सचिव जो कि प्रशासन भारतीय तथा कार्मिक संबंधी अलग अलग होता है । अतिरिक्त सचिव के अलावा निदेशक उपनिदेशक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य अधिकारी और लिपिक तथा कर्मचारी वर्ग होते हैं ।

भारत में संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थित है ।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्य (Functions of Union Public Service Commission):

UPSC एक संवैधानिक निकाय है। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अधिकृत है। आयोग की स्वीकृति भारत के संविधान द्वारा दी गई है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के रूप में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए संविधान के भाग ग्प्ट के 315 से 323 में उल्लिखित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत 'लोक सेवा आयोग' को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:

A. अनिवार्य कार्य ।
B. परामर्श सम्बंधित कार्य ।

A- अनिवार्य कार्य –

(1) केन्द्र व राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति हेतु सरकार को परामर्श देना ।

(2) परीक्षाओं का आयोजन करना ।

(3) दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा आग्रह करने पर भर्ती हेतु नियोजन में संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा सहायता देना ।

B. परामर्श सम्बंधित कार्य –

आयोग निम्नांकित विषयों पर केन्द्र व राज्यों को परामर्श दे सकता है–

- भर्ती विधियों के बारे में ।
- नियुक्ति हेतु अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों पर ।
- स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के मामलों में ।
- कानूनी व्यय के सम्बन्ध में ।
- अनुशासनात्मक मामलों पर ।

राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया कोई भी मामला जिस पर शासन आयोग से परामर्श चाहता है ।

संघीय लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रतिवर्ष अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार कर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ।

डॉ. मुतालिब ने आयोग के कार्यों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया है–

(A) **कार्यकारी–**

परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों का चयन करना ।

(B) **नियामक–**

भर्ती की पद्धतियाँ, पदोन्नति व स्थानान्तरण आदि ।

(C) **अर्द्धन्यायिक–**

अनुशासन के सम्बन्ध में परामर्श देना ।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संगठन तथा कार्य)

University Grants Commission (Organization and Functions)

प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Introduction and Historical Perspective)

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है । भारतीय संसद द्वारा इस आयोग को 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बेहद महत्वपूर्ण था। यूजीसी द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों हेतु गाइडलाइन का निर्धारण किया जाता हैं। यह विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करता है । उन्हें मान्यता प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण यह समस्त विश्वविद्यालयों को उनकी अवस्यक्तानुसार अनुदान (आर्थिक सहायता) देने का कार्य भी करता है । इसलिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) कहा जाता हैं।

1944 में विश्वविद्यालयों के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार करने एवं समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने हेतु सार्जेन्ट योजना का निर्माण किया गया। इसके तहत सार्जेन्ट योजना में शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान समिति UGC के निर्माण का सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

सर्वप्रथम इसको एक समिति के रूप में चुना गया। स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1953 में इसको समिति से हटाकर आयोग में परिवर्तित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन (Organisation of University Grants Commission)

अध्यक्ष

↓

दो सदस्यः केन्द्र सरकार के कार्यरत् अधिकारी

⇩

चार सदस्यः विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत् शिक्षक।

⇩

चार सदस्यः निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्मिलित किए जाते है–

एक सदस्यः कृषि, वाणिज्य, उद्योग से

एक सदस्यः इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्विज्ञान से

एक सदस्यः विश्वविद्यालयों के कुलपति अथवा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्

एक सदस्यः उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से

सन् 1974 एवं सन् 1977 में यू. जी. सी. का पुनर्गठन किया गया । इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही 10 अन्य सदस्यों को इसके संगठन में सम्मिलित किया जाता हैं। इन 10 सदस्यों में कृषि,उद्योग,कानून एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े सदस्यों को सम्मिलित किया जाता हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उपाध्यक्ष और बाकि सदस्यो का कार्यकाल 3 वर्ष का होता हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (University Grants Commission Functions)

1. उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण एवं समन्वयकारी भूमिका

इस दायित्व के निर्वाह के लिए आयोग निम्नलिखित कार्य करता है–

- अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना।

- उच्च एवं विशिष्ट अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना।
- विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्सरचना करना।
- इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना।
- विषय–विशेषज्ञों से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना।

2. महाविद्यालयों के विकास में योगदान

आयोग महाविद्यालय के विकास के लिए करता हैं –

- महाविद्यालयों को विशेष सहायता प्रदान करती है।
- महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता प्रदान करना।

3. शिक्षकों के विकास में योगदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी महाविद्यालयों एंव विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन एवं विकास के लिए विभिन्न मदों में योगदान देता है। जैसे–संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशालाएँ, पाठ्यक्रम सम्मेलन आदि। आयोग व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषण, शैक्षिक फैलोशिप एवं यात्रा अनुदान प्रदान करता है।

4. विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता एवं समानता बनाए रखने हेतु यह सरकार को उचित परामर्श देता है परामर्श देने से पहले यह विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर उचित स्रोतों एवं जानकारियों को एकत्रित करता हैं।

5. विश्वविद्यालय निर्माण करने की अनुमति का कार्य

यह विश्वविद्यालय निर्माण करने की अनुमति एवं मान्यता प्रदान करने का कार्य करती हैं।

6. नए विश्वविद्यालयों के निर्माण

नए विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु यह क्षेत्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को समक्ष सुझाव प्रस्तुत करता हैं।

7. पाठ्यक्रम में संशोधन करने का कार्य

समय–समय पर सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर पाठ्यक्रम में संशोधन करने का कार्य करता है और बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष को देखते हुए यह नवीन मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाने का कार्य कराया हैं।

8. छात्रवृत्ति प्रदान करता हैं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो विदेशों में अनुसंधान कार्यक्रमों द्वारा जाते है एवं अनुसंधान संबंधित सामग्री एवं नीतियों के निर्माण का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता हैं।

9.उच्च शिक्षा के शिक्षक

उच्च शिक्षा के शिक्षकों की योग्यता,परीक्षा,पाठ्यक्रम, वेतन एवं अन्य नीति–नियमों का निर्धारण भी इसी के द्वारा दिया जाता है और इनके संबंध में अध्ययन कर उचित संशोधन करने हेतु सरकार को सलाह एवं परामर्श देने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता हैं।

10. पाठ्यक्रम का निर्धारण करना

शिक्षक–शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, शिक्षक शिक्षा में नवीन संशोधन करना एवं शिक्षक बनने हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण कर उसे लागू करना।

11. विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम एवं समारोह का आयोजन

यह आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम एवं समारोह का आयोजन करते रहता है जिससे लोग उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को समझ सकें एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकें।

12. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करता हैं

यह राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) हेतु योजनाओं के निर्माण के साथ–साथ न्यूनतम योग्यताओं एवं परीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करता हैं। जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है।

13. विश्वविद्यालय के विकास में भूमिका

आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान और अन्य सहायता देता है।

संदर्भ सूची –

(I) Prof. CB Gena, Comparative Politics and Institutions, Vikas Publishing House, Delhi

(II) Prof. Inderjeet Singh Sodhi, Administrative Institutions in India

(III) Garner, Political Science and Government, Laxminarayan Aggarwal, Agra

(IV) प्रो अशोक शर्मा, भारत में प्रशासनिक संस्थाएँ, आर बी एस ए पब्लिशस

(V) सार्टोरी : पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टमःऐ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 1776